भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता का न्यायालय, घाटशिला, पूर्वी सिंहभूम।

(आदेश फलक)

नामान्तरण अपील वाद संख्या– 03 / 2020–21

केश का प्रकार :– नामान्तरण अपील

राज जयसवाल ....अपीलकर्त्ता

–बनाम–

अंचल अधिकारी, चाकुलिया (झारखण्ड, सरकार) ....विपक्षी

क्रमांक / तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	की का
05.5.22	यह नामान्तरण अपीलवाद अपीलकर्त्ता राज जयसवाल पिता ज्ञान चन्द्र जयसवाल, फलैट न0 3 बी ज्योति अर्पाटमेंट तृतीय तल्ला रोड न0 02, कॉन्ट्रेक्टरर्स एरिया विष्टुपुर जमशेदपुर, जिला पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर द्वारा अंचल अधिकारी, चाकुलिया, (झारखण्ड, सरकार), जिला–पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर को पक्षकार बनाते हुए अंचल अधिकारी, चाकुलिया द्वारा नामान्तरण मुकदमा संख्या–161 / R27 / 2019–20 में दिनांक–13 / 03 / 2020 को पारित आदेश के विरूद्ध अपील वाद दायर किया गया है। अपीलकर्त्ता की ओर से अपील आवेदन के साथ वकालतनामा, शपथ पत्र एवं U/s 05 Limitation Act के तहत आवेदन पत्र संलग्न किया गया है। इस वाद को सुनवाई के लिए अंगिकृत करते हुए, उभय पक्ष को नोटिस निर्गत किया गया तथा निम्न न्यायालय का नामान्तण मुकदमा संख्या–161 / R27 / 2019–20 की मांग की गई। अंचल अधिकारी, चाकुलिया के पत्रांक 348 दिनांक 10.03.2022 के माध्यम से निम्न न्यायालय का नामान्तण मुकदमा संख्या–161 / R27 / 2019–20 प्राप्त हुआ जो अभिलेखबद्ध है। अपीलकर्त्ता इस न्यायालय में उपस्थित हुए परन्तु अंचल अधिकारी की ओर से कोई प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता को सूना । अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि अंचल अधिकारी, चाकुलिया द्वारा नामान्तरण मुकदमा सं0 161 / R27 / 2020–21 में दिनांक 13.03.2020 को गलत आदेश पारित किया गया है। इस वाद में राजस्व कर्मचारी तथा अंचल निरीक्षक के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि आवेदित भूमि रैयती खाते की है । विकेता के नाम से संबंधित मौजा के पंजी 2 में जमाबंदी कायम नहीं है। केता का आवेदित भूमि पर दखल नहीं है। आवेदित भूमि का खतियान के दखल कॉलम में शिकमी दखलकार रैयतों का नाम दर्ज है। आवेदित भूमि वर्त्तमान में शिकमी रैयतों के वंशजों का दखल में है। जबकि हल्का कर्मचारी के जॉच प्रतिवेदन में पंजी 2 के रैयतों के नाम में क्रमशः 01 रोशन लाल गुप्ता, पिता जय नारायन गुप्ता, 02 विपिन कुमार पिता स्व0 राम चरण चौबे, एवं 03 कमल कुमार अग्रवाल पिता बी एम अग्रवाल का नाम उल्लेख किया गया है। **निष्कर्ष** :–अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता को सुनने तथा निम्न न्यायालय अभिलेख के अवलोकन से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि नामान्तरण मुकदमा संख्या–161 / R27 / 2019–20 में दिनांक–13 / 03 / 2020 को अंचल अधिकारी, चाकुलिया द्वारा पारित आदेश नामान्तरण नियमावली के अनुकूल नहीं है। अतः नामान्तरण मुकदमा संख्या–161 / R27 / 2019–20 में अंचल अधिकारी, चाकुलिया द्वारा दिनांक–13 / 03 / 2020 को पारित आदेश को खारिज (Reject) करते हुए, इस अपील वाद को स्वीकार किया जाता है। साथ ही अंचल अधिकारी, चाकुलिया को निर्देश दिया जाता है कि मामले को नये सिरे से सुनवाई कर नामान्तरण नियमावली के अनुरूप तार्किक आदेश पारित करेंगें। आदेश के साथ निम्न न्यायालय अभिलेख अंचल अधिकारी, चाकुलिया को लौटा दें। निर्वाचन कार्य में व्यस्त रहने के कारण आदेश आज पारित किया गया। लेखापित एवं संशोधित भूमि सुधार उप समाहर्त्ता घाटशिला। 05/5/2022 भूमि सुधार उप समाहर्त्ता घाटशिला।	C.C. of 1907 order is issued

Digitally signed by NEET NIKHIL SURIN
Date: 2025.03.20 14:09:14 +05:30
Location: 192.168.1.33